ए.

स्वामीनाथन और ओ. आर. एस. बनाम

विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से अलंकामोनी (मृत)। (2013 की सिविल अपील No.798-799)

बी.

09 मार्च, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:एस.263 – प्रशासन के पत्रों को रद्द करना-कब आयोजित किया गयाःएस के अनुसार।263, प्रशासन के पत्रों का अनुदान "न्यायसंगत कारण" के लिए निरस्त किया जा सकता है-स्पष्टीकरण (ए) में कहा गया है कि न्यायसंगत कारण का अस्तित्व माना जाएगा जहां कार्यवाहियां सार में दोषपूर्ण थीं-चित्रण (ii) यू/एस।263 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां "अनुदान पक्षकारों का हवाला दिए बिना दिया गया था, जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए था"-तथ्यों पर, वसीयतकर्ता के भाई ने इस आधार पर प्रशासन के पत्रों को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि प्रशासन के पत्रों को रद्द करने के लिए एक उचित कारण मौजूद था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2013 की सिविल अपील सं. 798-799।

2002 के सी. एम. ए. No.1004 में मदुरै पीठ में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2008 और 2009 के समीक्षा आवेदन (एम. डी.) No.08 में दिनांकित 21.07.2009 से।ए. मरियापुथम, सीनियर एड., अनुराग दयाल माथुर, अवनीश अर्पुथम, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, एड.अपीलार्थीगण के लिए।बेनो

बेंसिगर, एम. ए. चिन्नासामी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

एफ.

जी.

आदेश

1. वर्तमान अपीलों में चुनौती एक दिनांकित 05.11.2008 आदेश को दी गई है, जिसके तहत वसीयतकर्ता के भाई द्वारा दिनांकित 09.03.2002 के प्रशासन पत्रों को रद्द करने के लिए दायर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 299 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत अपील की अनुमति दी गई थी।

एच.

878

879

स्वामीनाथन बनाम अलंकामोनी (मृत) विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से।

ए.

2. अपीलार्थीगण ने दिनांकित एक पंजीकृत वसीयत विलेख के प्रशासन पत्र की मांग की, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक थंकप्पन नादर द्वारा अपीलकर्ता-वसीयतकर्ता के भाई और उसके दो बेटों के पक्ष में निष्पादित किया गया था।प्रशासन के पत्रों के अनुदान के बाद, वसीयतकर्ता के एक अन्य भाई ने इस आधार पर प्रशासन के पत्रों को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था।दीवानी अदालत ने रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया लेकिन अपील में आदेश को दरकिनार कर दिया गया।व्यथित, वसीयतदार इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।3. धारा 276 और धारा 278 के बीच प्रयुक्त भाषा में अंतर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण द्वारा जो दायर किया गया था वह धारा 276 (1) के तहत एक याचिका थी और इसलिए, धारा 278 (1) में निहित मृतक के परिवार और अन्य रिश्तेदारों के विवरण के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता को धारा 276 में शामिल नहीं किया जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलार्थीगण द्वारा दायर याचिका वसीयत के साथ प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए थी।यह धारा 278 (1) के तहत दायर याचिका नहीं थी।

बी.

सी.

डी.

4. उपरोक्त विवाद को समझने के लिए, धारा 276 (1) और धारा 278 (1) को एक तालिका में निम्नानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक हैः-

ई.

एफ.

जी.

एच.

880

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

ए.

5. लेकिन दुर्भाग्य से अपीलार्थीगण के लिए, पकड़ धारा 276 और धारा 278 के बीच के अंतर में नहीं पाई जाती है।यह धारा 263 में पाया जाता है जो इस प्रकार हैः-

263. न्यायसंगत कारण के लिए निरसन या रद्द करना।—का अनुदान

न्यायसंगत कारण के लिए प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों को रद्द या रद्द किया जा सकता है।

बी.

स्पष्टीकरण।—न्यायसंगत कारण का अस्तित्व माना जाएगा जहां-(ए) अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही सार में दोषपूर्ण थी; या

((ख) अनुदान धोखाधड़ी से गलत सुझाव देकर या न्यायालय से मामले की कुछ सामग्री छिपाकर प्राप्त किया गया था; या

सी.

(ग) अनुदान को उचित ठहराने के लिए कानून के दृष्टिकोण से आवश्यक तथ्य के असत्य आरोप के माध्यम से प्राप्त किया गया था, हालांकि ऐसा आरोप अज्ञानता में या अनजाने में लगाया गया था; या (घ) अनुदान परिस्थितियों के कारण बेकार और निष्क्रिय हो गया है; या

डी.

(ङ) जिस व्यक्ति को अनुदान दिया गया था, उसने जानबूझकर और उचित कारण के बिना इस भाग के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार एक सूची या खाते को प्रदर्शित करने में चूक की है, या उस अध्याय के तहत एक सूची या खाते को प्रदर्शित किया है जो भौतिक रूप से असत्य है।दृष्टांत

ई.

((i) जिस न्यायालय द्वारा अनुदान दिया गया था, उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

एफ.

((ii) अनुदान उन पक्षों को उद्धृत किए बिना दिया गया था जिन्हें उद्धृत किया जाना चाहिए था।

(iii) जिस वसीयत की प्रोबेट प्राप्त की गई थी, वह जाली थी या रद्द कर दी गई थी।

जी.

((iv) ए ने अपनी विधवा के रूप में बी की संपत्ति को प्रशासन के पत्र प्राप्त किए, लेकिन तब से यह पता चला है कि उसने कभी भी उससे शादी नहीं की थी।

(v) A प्रशासन को B की संपत्ति में ले गया है जैसे कि वह निर्वसीयत मर गया था, लेकिन तब से एक वसीयत की खोज की गई है।

एच.

881

स्वामीनाथन बनाम अलंकामोनी (मृत) विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से।

ए.

(vi) चूंकि प्रोबेट दिया गया था, एक बाद की वसीयत की खोज की गई है।

(vii) जब से प्रोबेट दिया गया है, एक कोडिसिल की खोज की गई है जो वसीयत के तहत निष्पादकों की नियुक्ति को रद्द या जोड़ती है।

बी.

(viii) जिस व्यक्ति को प्रोबेट दिया गया था, या प्रशासन के पत्र दिए गए थे, वह बाद में अस्वस्थ हो गया है।

6. धारा 263 के अनुसार, प्रशासन के पत्रों के अनुदान को "उचित कारण" के लिए रद्द किया जा सकता है।धारा 263 के तहत स्पष्टीकरण (ए) में कहा गया है कि न्यायसंगत कारण का अस्तित्व माना जाएगा जहां कार्यवाहियां सार में दोषपूर्ण थीं।धारा 263 के तहत चित्रण (ii)

एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां "उन पक्षों को उद्धृत किए बिना अनुदान दिया गया था जिन्हें उद्धृत किया जाना चाहिए था।"

सी.

7. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि कुछ औपनिवेशिक कानूनों में चित्रण हैं जो स्वयं कानूनों का हिस्सा हैं।भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ऐसा ही एक अधिनियम है।

डी.

8. इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अनुदान को रद्द करने के लिए एक उचित कारण मौजूद था।इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जो हमारे हस्तक्षेप की गारंटी देता है।इसलिए याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

ई.

9. लंबित आवेदन (आवेदन), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एफ.

जी.

एच.